


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

—: आदेश :-

इस कार्यालय के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से चयनोपरान्त प्राध्यापक पद पर राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ-1(2)/डीओपी/ए-2/2005 दिनांक-20.01.2006 एवं एफ-12(6) एफ डी (नियम)/05 दिनांक-13.03.2006 के अनुसारेण में दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत स्थिर मानदेय पर/विद्यमान वेतनमान में नियुक्त किये गये निम्न प्राध्यापक को कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सेवा नियम - 1951 के नियम 24 एवं राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 के नियम 22 एवं अनुसूची 5 में अंकित प्रावधानानुसार उनके नाम के सामने कॉलम सं-07 में अंकित दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पीबी-2 9300-34800 एवं ग्रेड पे 4800/-रु. एवं देय नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की व नियमित वेतन श्रृंखला प्राप्त करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है एवं साथ ही उक्त तिथि (कॉलम संख्या-7 में अंकित) से इनका प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के पद पर स्थायीकरण किया जाता है :-

क्र० सं०	मेरिट क्र०	नाम प्राध्यापक	पदस्थापन स्थान राउमावि/राबाउमावि	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	स्थाईकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	M-83 OBC WE	अल्का सोनी वाणिज्य	बिजयनगर-अजमेर	16.01.85	01.12.12	01.12.14


निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/स्थाईकरण/नियमितकरण/14/
प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

दिनांक: 15.04.16

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 2 उपशासन सचिव-प्रथम, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3 संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग,
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक),
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा
- 6 संबंधित संस्था प्रधानाचार्य
- 7 संबंधित प्राध्यापक अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन, कार्यालय हाजा।
- 8 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा-राजस्थान
बीकानेर